प्रमाणित प्रति केवल राजकार्य हेतु

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर

हरपालसिंह पुत्र मुंशासिंह जाति रायसिख निवासी 9 पीएसडी–ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

श्रीमती विजयलक्ष्मी वगैरह स्टेट

किस्म मुकदमा : अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट अपील सं. 46/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.9.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवम् रिपोर्ट का अवलोकन किया । यह अपील उप तहसीलदार, रावला के आदेश दिनांक 27.12.17 जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 14.12.17 एवं मा.राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 26.9.17 की पालना में पंजीकृत बैयनामा अनुसार नामान्तरकरण खोला जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत 9 पीएसडी (ए) के समक्ष प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 22.1.18 में स्वीकृत किया गया है, के विरुध्द भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(1)एफ के अन्तर्गत प्रस्तुत हुई है । हमने प्रथमतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन किया । सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को भू–अभिलेख निदेशक की शक्तियां प्रदत्त है, जिसमें धारा 75–1एफ के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने का निम्नप्रकार से प्रावधान दिया हुआ है :– First Appeals Section 75(1)(F) : to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records. उपरोक्त प्रावधानौं के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–75 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरुध्द न्यायालय सम्भागीय आयुक्त में अपील प्रस्तुत की जा सकती है । अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार रावला के आदेश दिनांक 27.12.17 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ प्रस्तुत नहीं कर डिस्पेंस विद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया इस कारण हमने अपील के साथ प्रस्तुत हुए चक 9 पीएसडी–ए तहसील घड़साना के बैयनामा नामान्तरकरण सं0 297 दिनांक 22.1.18 के कॉलम सं0 14 का अवलोकन किया । जिसके अनुसार उप तहसीलदार, रावला के पत्र दिनांक 27.12.17 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं मा0राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णयों की पालना हेतु पटवारी हल्का के निमित जारी किया गया है, के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। उप तहसीलदार रावला द्वारा पटवारी हल्का के निमित जारी किया गया पत्र दिनांक 27.12.17 भू अभिलेख अधिकारी का मूल आदेश नहीं है । प्रकरण में उप तहसीलदार रावला द्वारा पत्र दिनांक 27.12.17 माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्णयों की पालना हेतु जारी किया जाना प्रतीत होता है। न्यायालय का अभिमत है कि न्यायालयों के आदेशों की पालना में जारी किया गया पत्र दिनांक 27.12.17 मूल आदेश नहीं होने से इसके विरुध्द अपील नहीं की जा सकती है । प्रस्तुत नामान्तरकरण सं0 297 दिनांक 22.1.18 अनुसार अपीलान्ट तृतीय पक्षकार है, किन्तु उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने का धारा 96सीपीसी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः इस न्यायालय में एल.आर. एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी यह अपील अपूर्ण एवं संधारण योग्य नहीं होने से क्षेत्राधिकार बिन्दु पर एडमिशन स्टेज में ही खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर पर ली जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया । संभागीय आयुक्त बीकानेर	

मिलान किया

प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
एवं सह. प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय संभागीय आयुक्त,
बीकानेर